

07/05/24

पत्रावली आज दिनांक को लागू होकर पेश
हुई। वादीगण मय अधिकतम उपाधित जिन्हेने
वाक विद्वा का पार्थना पत्र पेश कर निवेदन
कीया कि उक्त प्रकरण मे भागे कोई कार्यवाही
नहीं चाहेते है, इसलिये प्रकरण मे कार्यवाही
रूक कीया जाना फरमावे। अतः वादीगण का
वाक इसी स्तर पर खारिज कीया जाता है।
पत्रावली कैसल सुमाए होकर नम्बर से
कम की जाकर दायित दफतर हो।



सहायक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर